

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 01/2019

प्रार्थी

सरकार जरिए धानाधिकारी पालडी एम जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री अभयसिंह पुत्र श्री शंकरलाल उर्फ शिवशंकर जाति पाल निवासी अरई पुलिस थाना हन्डिया जिला इलाहाबाद उत्तरप्रदेश।
2. श्री जोगेन्द्र यादव पुत्र श्री रामजगतार यादव निवासी बोडीहार थाना बखीर जिला सत कबीर नगर खलीलाबाद उत्तरप्रदेश व अन्य।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. श्री भवरसिंह देवडा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.01.2019 को श्री सोमाराम हैड कानि ने श्री विक्रमसिंह आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त सिरोही को सूचना दी कि महादेव होटल नेशनल हाईवे नं. 62 के बाड़े में बाहर खाली जगह पर एक टैंकर घालक अपने टैंकर की सील तोड़कर डीजल की चोरी कर रहे हैं। उक्त सूचना पर उपअधीक्षक पुलिस व अन्य को पहुंचे। मौके पर एक टैंकर जिसमें 23958 लीटर डीजल भरा हुआ था तथा दो प्लस्टिक के ड्रम जिसमें 310 लीटर डीजल एवं दो प्लस्टिक के जरीकन जिनमें 40 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार कुल 23958 लीटर डीजल टैंकर में भरा हुआ तथा 350 लीटर डीजल ड्रमों एवं जरीकनों में डीजल भरा हुआ पाया गया। उक्त डीजल के बारे में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने से उक्त डीजल को जरिये चार्ज कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भवरसिंह देवडा द्वारा उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में विस्तृत बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही एवं अप्रार्थी अधिवक्ता श्री भवरसिंह देवडा की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 10.01.2019 को श्री सोमाराम हैड कानि, पुलिस थाना पालडी एम ने श्री विक्रमसिंह वृत्ताधिकारी वृत्त सिरोही को सूचना दी कि महादेव नेशनल हाईवे नम्बर 62 सरहद पालडी एम के बाड़े में बाहर खाली जगह पर टैंकर घालक अपने टैंकर की सील तोड़कर डीजल की चोरी कर रहे हैं और बाडा मालिक को उक्त चोरी किया हुआ डीजल कम दामों पर बेचान कर रहे हैं। उक्त

जिला कलेक्टर, सिरोही

सूचना पर श्री विक्रमसिंह उपअधीक्षक सिरोही मय अन्य हैड कानि. के उपस्थित हुए। मौके पर पहुंचने पर बाड़े में खडा टैंकर नम्बर जीजे 10 टीवी 6282 खडा दिखाई दिया, जिसकी टंकी के ऊपर दो आदमी खडे हुए मिले और एक आदमी नीचे पाईप से डीजल निकालता दिखाई दिया। उनसे उनके नाम पूछने पर बताया कि टंकी पर चढे हुए आदमी का नाम श्री अभयसिंह पुत्र श्री शंकरलाल जाति पाल निवासी अरई पुलिस थाना हन्डिया जिला इलाहाबाद उत्तरप्रदेश एवं पाईप से डीजल निकालने वाले व्यक्ति का नाम श्री जोगेन्द्र यादव पुत्र श्री रामअवतार यादव निवासी बोडीहार थाना बखीरा जिला संत कबीर नगर खलीलाबाद उत्तरप्रदेश बताया एवं टंकी पर चढा हुआ दूसरा आदमी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री शोभनाथपाल निवासी जलालपुर पुलिस थाना कासबा उत्तरोण इलाहाबाद उत्तरप्रदेश बताया, जो टंकी से कूदकर भाग गया था। मौके पर टैंकर को चैक किया गया तो उक्त टैंकर की सील टूटी हुई थी तथा इस टैंकर में से 40 लीटर डीजल चोरी किया गया था, जो बाडा मालिक को बेचना था। मौके पर दो बड़े ड्रम 200-200 लीटर क्षमता के पाए गए, जिसमें से एक ड्रम में 160 लीटर एवं दूसरे ड्रम में 150 लीटर डीजल भरा हुआ था तथा पास में दो प्लास्टिक के 20-20 लीटर क्षमता के जरीकन डीजल से भरे हुए थे, जिनमें कुल 40 लीटर डीजल भरा हुआ था। टैंकर का नाप करने पर टैंकर 24 हजार लीटर क्षमता का था, जिसमें कुल 23958 लीटर डीजल भरा हुआ था। मौके पर श्री अभयसिंह की पेन्ट से चालक द्वारा तोड़ी गई पांच सीलें जब्त की गई। उक्त व्यक्तियों से पूछने पर बताया कि उक्त डीजल को बाडा मालिक द्वारा खरीदा जाता है एवं बाद में उच्च दामों में अन्य लोगों को बेचान किया जाता है। अतः इस प्रकार कुल 23958 लीटर डीजल टैंकर में तथा कुल 350 लीटर डीजल, जो ड्रमों तथा प्लास्टिक जरीकनों में भरा था, का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए हैं। अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री भंवरसिंह देवडा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि कब्जे सरकार लिये गये, उक्त डीजल को अप्रार्थी के मालिकी का होने से उन्हें सुपूर्द किया जावे। उनके द्वारा निवेदन किया कि उक्त डीजल नायरा एनर्जी लिमिटेड कम्पनी का था, जिसे जब्त सरकार किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है अतः कब्जे सरकार लिये गये समस्त डीजल को उन्हें सुपूर्द किया जावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 10.01.2019 को श्री सोमाराम हैड कानि. पुलिस थाना पालडी एम ने श्री विक्रमसिंह वृत्ताधिकारी वृत्त सिरोही को सूचना दी कि महादेव होटल नेशनल हाईवे नम्बर 62 सरहद पालडी एम के बाड़े में बाहर खाली जगह पर एक टैंकर चालक अपने टैंकर की सील तोड़कर डीजल की चोरी कर रहे हैं और बाडा मालिक को उक्त चोरी किया हुआ डीजल कम दामों पर बेचान कर रहे हैं। उक्त सूचना पर श्री विक्रमसिंह उपअधीक्षक सिरोही मय अन्य हैड कानि. के उपस्थित हुए। मौके पर पहुंचने पर बाड़े में खडा टैंकर नम्बर जीजे 10 टीवी 6282 खडा दिखाई दिया, जिसकी टंकी के ऊपर दो आदमी खडे हुए मिले और एक आदमी



जिला कलेक्टर, सिरोही

मौजे पार्सप से डीजल निकालता दिखाई दिया। उनसे उनके नाम पूछने पर बताया कि टंकी पर घड़े हुए आदमी का नाम श्री अमरसिंह पुत्र श्री शंकरलाल जाली पाल निवासी अरई पुलिस थाना हन्डिया जिला इलाहाबाद उत्तरप्रदेश एवं पार्सप से डीजल निकालने वाले व्यक्ति का नाम श्री जोगेन्द्र पाटय पुत्र श्री रामअवतार पाटय निवासी बोडीहार थाना बखीरा जिला संत कबीर नगर खलीलाबाद उत्तरप्रदेश बताया एवं टंकी पर घड़ा हुआ दूसरा आदमी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री शोभनाथपाल निवासी जलालपुर पुलिस थाना कासबा उत्तरप्रदेश इलाहाबाद उत्तरप्रदेश बताया जो टंकी से कूटकर भाग गया था। मौके पर टैंकर को रोक किया गया तो उक्त टैंकर की सील टूटी हुई थी तथा इस टैंकर में से 40 लीटर डीजल चोरी किया गया था जो बाड़ा भातिक को बेचना था। मौके पर दो बड़े ड्रम 200-200 लीटर क्षमता के पाए गए जिसमें से एक ड्रम में 160 लीटर एवं दूसरे ड्रम में 150 लीटर डीजल भरा हुआ था तथा पास में दो प्लारिस्टिक के 20-20 लीटर क्षमता के जरीकन डीजल से भरे हुए थे जिनमें कुल 40 लीटर डीजल भरा हुआ था। टैंकर का नाप करने पर टैंकर 24 हजार लीटर क्षमता का था, जिसमें कुल 23958 लीटर डीजल भरा हुआ था। मौके पर श्री अमरसिंह की पेंट से चालक द्वारा लोडी गई पांच लीतरे जब्त की गई। उक्त व्यक्तियों से पूछने पर बताया कि उक्त डीजल को बाड़ा भातिक द्वारा खरीदा जाता है एवं बाद में उक्त टामी में अन्य लोगों को बेचना किया जाता है। अतः इस प्रकार कुल 23958 लीटर डीजल टैंकर में तथा कुल 350 लीटर डीजल, जो ड्रमों तथा प्लारिस्टिक जरीकनों में भरा था, का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया। पञ्जावली पर उपलब्ध दरतावेजी सार्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिया गया 23958 लीटर डीजल, जो टैंकर नम्बर जीजे 10 टीवी 6282 में भरा हुआ था, नागर एनर्जी लिमिटेड का था, जिसके बिल की प्रति पञ्जावली पर उपलब्ध है। अतः टैंकर में भरे हुए कुल 23958 लीटर डीजल को उसके स्वामी को लौटाना न्याय संगत होगा। यह है कि मौके पर ड्रमों एवं प्लारिस्टिक जरीकनों भरा हुआ कुल 350 लीटर डीजल, जिसके अपराधी के पास कोई बिल या अनुज्ञापत्र उपलब्ध नहीं होने से चोरी का डीजल होना प्रतीत होता है एवं इसके संबंध में अपराधी अधिवक्ता ने भी किसी भी प्रकार का कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है। अतः ड्रमों एवं प्लारिस्टिक जरीकनों भरे हुए कुल 350 लीटर डीजल को राज्यसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

चूंकि टैंकर नम्बर जीजे 10 टीवी 6282 में भरा हुआ कुल 23958 लीटर डीजल को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2019 को उसके भातिक को दिए जाने का आदेश दिया जा चुका है एवं मौके पर ड्रमों एवं प्लारिस्टिक जरीकनों भरा हुआ कुल 350 लीटर डीजल चोरी का प्रतीत होने से एवं बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए के तहत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये डीजल को समयपरहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला एसद अधिकारी, सिरौही कब्जे सरकार लिए गए डीजल का निरस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/मीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करे एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया



(भगवती प्रसाद)

जिला कलक्टर, सिरौही